

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—852 / 2003
 संस्थित दिनांक—15.12.1999
 फाईलिंग क.234503000211999

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा, आरक्षी केन्द्र—गढ़ी
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

सेवनलाल पिता मंडलसिंह कुंजाम, उम्र—36 वर्ष,
 निवासी—ग्राम बदवार, थाना मोतीनाला,
 जिला मण्डला (म.प्र.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—31 / 12 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—39(3)(क) 44, 49, 51 के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक—16.11.1999 को थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम ढुडवा में अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के 45 नग नाखून शेर के पंजों के, 72 शेर के मूँछ के बाल, 4 नग जबड़े, हड्डी, दांत इत्यादि करीब 250 ग्राम विक्रय करने के लिए रखा।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि विशेष दस्ता प्रभारी राज वल्लभसिंह चौहान को दिनांक—16.11.1999 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी सेवनलाल वन्य प्राणियों को शिकार कर उनकी खालें, नाखून, हड्डी वगैरह एकत्रित कर बेचने की फिराक में है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी गढ़ी के द्वारा स्काट के सदस्य प्रधान आरक्षक क्रमांक—44 नगेन्द्र यादव, प्रधान आरक्षक क्रमांक—54 हमीद खान, आरक्षक क्रमांक—906 सुरेन्द्र, आरक्षक क्रमांक—122 धनपाल के साथ मिलकर, उक्त सूचना पुलिस अधीक्षक को बताकर मौके पर पहुंचकर आरोपी से माल खरीदने हेतु सामान बताने का कहने पर आरोपी के द्वारा शेर के 45 नग नाखून 72 नग शेर की मूँछों के बाल व कुछ शेर की हड्डियां दिखाई और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी से उक्त सामान जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया। मौके

पर देहाती नालसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना वापस आकर असल नंबर पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-46/1999 धारा-9, 49 बी, 50, 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लिये गये तथा वन्य जीव संस्थान देहरादून को जप्तशुदा संपत्ति का परीक्षण हेतु भेजा गया। पुलिस द्वारा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-39(3)(क) 44, 49, 51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.स के प्रावधान अंतर्गत अभियुक्त कथन में अपराध अस्वीकार कर स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त कर प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-16.11.1999 को थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम ढुडवा में अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के 45 नग नाखून शेर के पंजों के, 72 शेर के मूँछ के बाल, 4 नग जबड़े, हड्डी, दांत इत्यादि करीब 250 ग्राम विक्रय करने के लिए रखा ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5- तुलसीदास उर्फ पप्पू (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। लगभग 2-3 साल पूर्व पुलिस वालों ने उसके सामने आरोपी से 45 नग शेर के पंजे के नाखून व 72 नग मूँछ के बाल व हड्डी जप्त किया था और इस संबंध में जप्तीपत्रक बनाया था, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने हड्डी वगैरह तौली नहीं गई थी और न ही सीलबंद की गई थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है, किन्तु इस साक्षी का पुनः प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती नहीं हुई। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस वालों ने

थाना गढ़ी में उससे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए थे।

6— नगेन्द्र यादव (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-16.11.1999 को विशेष दस्ता टाईगर सेल में पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह दस्ता प्रभारी श्री राज वल्लभ चौहान के साथ गढ़ी तरफ ग्राम डुडवा गए थे। श्री चौहान को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम डुडवा में कुछ व्यक्ति वन्य प्राणी की खालें व अन्य शरीर के भाग का व्यवसाय कर रहे हैं। श्री चौहान के साथ जब ग्राम डुडवा पहुंचे तब वहां पर एक व्यक्ति आया, उससे श्री चौहान ने व्यापारी बनकर लेन-देन की बात की और उसने अपने पास से शेर का नाखून, पूंछ के बाल, जबड़े एवं हड्डियां निकालकर बताई। श्री चौहान ने मौके पर उक्त वस्तुओं को जप्त किया तथा आरोपी को नाम पता पूछा, तो उस व्यक्ति ने अपना नाम सेवनलाल बताया। मौके पर श्री चौहान ने जप्त वस्तुओं को सीलबन्द किया और उसे देहाती नालसी देकर थाना रवाना कर दिया। उसने देहाती नालसी प्रदर्श पी-1, थाना गढ़ी पर प्रस्तुत की, जहां पर कायमी की गई। कायमी प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं हुआ है। इस प्रकार साक्षी ने जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का अपनी साक्ष्य में समर्थन किया है।

7— रियाज शाह (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उसके सामने आरोपी से शेर के नाखून, बाल जबड़े आदि जप्त नहीं किये गए थे, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। साक्षी को उसका पुलिस बयान पढ़कर सुनाए जाने पर उसने पुलिस को ऐसा बयान नहीं लिखवाया जाना बताया। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलों का कोई समर्थन नहीं किया है।

8— उपनिरीक्षक एम.एस. धुर्वे (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-16.11.1999 को थाना गढ़ी में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उपनिरीक्षक राज वल्लभ चौहान द्वारा देहाती नालसी क्रमांक-0/99, धारा-9, 49 बी, 50, 51 वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत थाना गढ़ी में पेश किया गया, जिसके आधार पर उसके द्वारा थाना गढ़ी में अपराध क्रमांक-46/99 पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना में उसके द्वारा साक्षी नगेन्द्र यादव व जे.एन. यादव का कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। जप्तशुदा शेर के नाखून, मूंछ, हड्डियों को उसके द्वारा परीक्षण हेतु भारतीय वन्य प्राणी संस्थान

देहरादून भेजा गया था तथा विवेचना पश्चात् मामले में चालान तैयार किया गया था। प्रकरण में उसके द्वारा अन्य कोई विवेचना नहीं की गई।

9— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने कोई जांच नहीं की थी, क्योंकि उपनिरीक्षक वल्लभ सिंह चौहान के द्वारा संपूर्ण कार्यवाही की जा चुकी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जप्तशुदा माल परीक्षण हेतु किसके द्वारा भेजा गया था, वह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि परीक्षण के संबंध में प्रकरण में ज्ञापन संलग्न नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा परीक्षण हेतु जप्त माल भेजा नहीं गया था। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि उसने मामले में जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही के उपरान्त केवल प्राथमिकी दर्ज कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये हैं। इस प्रकार मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है। यद्यपि प्रकरण में महत्वपूर्ण कार्यवाही जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई है, जिसकी साक्ष्य अभियोजन ने नहीं कराई है। ऐसी दशा में उक्त अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य का अधिक महत्व नहीं रह जाता है।

10— अभियोजन ने कथित जप्तशुदा संपत्ति तथा कथित वन्यप्राणी शेर के नाखून, मूछ, हड्डियों की शिनाख्ती किसी भी वन अधिकारी या चिकित्सक से नहीं कराया है। कथित जप्तशुदा सामग्री की परीक्षण रिपोर्ट भी प्रकरण में प्रमाणित नहीं किया है तथा किसी साक्षी ने भी विशेषज्ञ के रूप में कथित सामग्री की पहचान नहीं की है। पुलिस अधिकारी वन्य प्राणी शेर के नाखून, मूछ, हड्डियों की पहचान या शिनाख्ती के संबंध में विशेषज्ञ साक्षी नहीं होता है। अभियोजन की ओर से कथित वन्य प्राणी शेर के नाखून, मूछ, हड्डियों के संबंध में किसी विशेषज्ञ साक्षी को पेश कर सबूती नहीं कराई गई है और न ही प्रकरण में जांच व परीक्षण रिपोर्ट पेश है। ऐसी दशा में साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता कि कथित जप्तशुदा नाखून व हड्डियां वन्य प्राणी शेर की ही थीं।

11— प्रकरण में अभियोजन की ओर से जप्ती अधिकारी राजवल्लभ चौहान की साक्ष्य पेश नहीं की है, जिस कारण मामले में जप्ती की कार्यवाही, प्रारंभिक जांच एवं देहाती नालसी लेख किये जाने की महत्वपूर्ण कार्यवाही को साबित नहीं किया गया है। मात्र जप्ती कार्यवाही के साक्षीगण के कथन से जप्ती की कार्यवाही प्रमाणित नहीं होती है। आरोपी से कथित वन्य प्राणी शेर के नाखून, मूछ, हड्डियों की जप्ती विधिवत्

प्रमाणित न होने से वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-57 के अंतर्गत यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि कथित जप्तशुदा संपत्ति आरोपीगण के अवैधानिक कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में रही है। अभियोजन ने यह भी प्रमाणित नहीं किया है कि जप्तशुदा नाखून, मूँछ, हड्डियों वन्यप्राणी शेर के ही थे। उक्त के अभाव में आरोपी के विरुद्ध अभियोजन का मामला पूर्णतः संदेहास्पद हो जाता है।

12— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विश्लेषण उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने दिनांक-16.11.1999 को थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम ढुडवा में अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के 45 नग नाखून शेर के पंजों के, 72 शेर के मूँछ के बाल, 4 नग जबड़े, हड्डी, दांत इत्यादि करीब 250 ग्राम विक्रय करने के लिए रखा। अतएव आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-39(3)(क) 44, 49, 51 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

13— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

14— प्रकरण में आरोपी दिनांक-17.11.1999 से दिनांक-12.01.2000 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। उक्त के संबंध में धारा-428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

15— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुल 3 सीलबंद पैकेट शेर के नाखून 45 नग, शेर की मूँछों के बाल, शेर के जबड़े व हड्डीयां अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किये जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक बालाघाट को सुपुर्द किया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट